निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 72 वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड के माह 09/2015 से 09/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस.एस दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक एवं श्री जितेन्द्र तमोली, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 16/08/2017 से 19/08/2017, 14/10/2017 से 04/11/2017 तथा 12/11/2017 से 29/12/2017 तक श्री अनिल कुमार जैन वरीष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार सिंह पर्यवेक्षक एवं श्री सौरभ कुमार सिंह, लेखापरिक्षक द्वारा दिनांक 19/09/2015 से 01/10/2015 तक श्री वी एस पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 07/2014 से 08/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		**आधिक्य (+)**	**बचत (-)**
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**आवंटन**	**व्यय**		
2014-15	-	-	11599.50	10550.54	12153.57	12054.25		
2015-16	-	-	12421.50	11407.26	11358.80	10935.64	-	-
2016-17	-	-	13867.69	11383.14	13717.44	13394.91	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	केन्द्र पोषित योजनाए	0	10969.16	10910.14	59.02
2015-16		0	9672.73	9292.61	380.12
2016-17		0	11956.90	11662.26	294.64

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"सी"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड,** के माह दिसम्बर 2016 से नवम्बर 2017 तक किए गए लेन-देन की लेखा परीक्षा की गयी थी और अधिक व्यय वाले माह तथा अधिक व्यय वाले पूर्ण किए गए कार्यो को आच्छादित किया गया। आहरण एवं वितरण अधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **जुलाई 2016 एवं मार्च 2017** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

Hkkx nks ¼v½

izzLrj 1% :0 53.86 djksM का dj vkjksi.kh; u fd;k tkukA

Hkkjr ljdkj ds i=kad la[;k F.No.D(FA) CCEA/2011 Government of India Ministry of Chemicals & Pertillzers New Delhi Dated 25.10.2012 esa ;wfj;k ds lEcU/k esa Li"V fd;k x;k gSA Instead of 100% payment of "Regular claim in Urea,DOF will release 95% of subsidy to the manufacturers on the basis of receipt of fertilizers in the districts. Balance 5% claim will be released subject to State government's Certification on quantity in m-FMS as well as fertilizer receipt confirmation by retailers through m-FMS. The state certification of quantity will be given within a period of 30 days from the date of receipt. Otherwise it will be deemed to have been received. State certification of quality will be given within 180 days.

उत्तराखण्ड oSV vf/kfu;e 2005 dh /kkjk ¼2½ mi /kkjk 11 ¼M½ ds vuqlkj dksbZ O;fDr] QeZ ;k dEiuh ;k vU; fuxfer fudk;]Dyc]vfoHkDr fgUnw dqVqEc vFkok la;qDr dqVqEc dh dksbZ vU; i}fr]O;fDr;ksa dk laxe] U;kl vkSj lgdkjh lkslkbVh ;k dksbZ vU; lkslkbVh] pkgs ,slh lkslkbVh fuxfer gks ;k xSj fuxfer] vkSj tks ,slk dkjksckj djrs gS ftlesa vius lnL;ksa ds fy;s eky dz; djuk ;k mudksa fdlh dher]Qhl ;k vfHkknk; ds fy;s fodz; djuk lfEefyr gS] pkgs og dkjksckj ds vuqdze esa dh x;h gks ;k ughA

उत्तराखण्ड oSV vf/kfu;e 2005 dh /kkjk ¼2½ dh mi /kkjk 42 " Sale Price" means the amounts of valuable consideration received or receivable by a dealer for sale of any goods and shall include any sum charged for anything done by the dealer in respect of goods at the time or before the delivery thereof, excise duty, special excise duty or any other duty or tax but shall not include:-

(a) any sum allowed by the seller of goods to the purchaser as cash discount,commission or trade discount according to normal trade practice,at the time of sale of goods;

(b) The cost of outward freight or delivery or the cost of installation in cases where such cost is separately charged;

(c) The amounts of tax under this Act, if separately charged by the dealer

/kkjk 3 dh mi/kkjk 7 ds vuqlkj dksbZ C;kSgkjh blds v/khu vU;Fkk micfU/kr ds flok;] mi/kkjk 3 ds v/khu dj dk nk;h ugh gksxk] ;fn dj fu/kkZj.k o'kZ ds nkSjku mlds leLr eky ds vkorZ dk] dqy ;ksx pkgs ,slk fodz; C;kSgkjh }kjk lh/ks ;k viuh "kk[kk ds ek/;e ls] fMiksa ;k jkT; ds vUnj vius vfHkdrkZ }kjk] ;k varjjkfT;d O;kikj ;k okf.kT; ds nkSjku] ;k Hkkjr ds jkT; {ks= ds cgkj fu;kZr ds nkSjku ;k jkT; ds ckgj izs'k.k }kjk fd;k gS] blesa vkxs mfYyf[kr /kujkf"k ls de gS%&

fodz; ds fy;s fdlh eky ds fofuekZrk ;k mRikn ds ekeys esa :0 5 yk[k

(i) ladeZ lafonk ds fu'iknu ds ekeys esa :0 5 yk[k

(ii) eky ds mi;ksx djus ds vf/kdkj ds vUrj.k ds ekeys esa :0 5 yk[k

(iii) fdlh vU; dkjckj esa yxs gq, C;kSgkfj;ksa ds ekeys esa :0 5 yk[k

/kkjk 59 ds vuqlkj izR;sd C;kSgkjh ;k O;fDr tks bl vf/kfuf;e ds v/khu iathd`r gS ;k iath;u ds fy;s nk;h gS] ;k bl vf/kfuf;e ds v/khu dj Hkqxrku ds fy;s nk;h gS] ftlesa bl vf/kfuf;e dh /kkjk 7 dh mi/kkjk ¼1½vkSj ¼2½ ds vUrxZr vkPNkfnr dksbZ C;kSgkjh Hkh lfEefyr gS] ,slk lPpk vkSj lgh ys[kk j[ksxk ftlesa mls eky dh dher fn[kk;h x;h gks] tks mlus dz;] fofufeZr] ;k fodz; ;k lEHkj.k fd;k gks] vkSj ,sls vfHkys[k j[ksxk tks bl vf/kfu;e ;k mlds v/khu cuk;s x;s fu;eksa ;k mlds v/khu tkjh vf/klwpukvksa ds v/khu fofgr fd;k tk;%

/kkjk 60 ¼1½ izR;sd iathd`r C;ksSgkjh tks djk/ks; eky dk fodz;]fdlh vU; C;kSgkjh]pkgs iathd`r gks ;k ugh] dks djrk gS] rks fodz; ds le; ,slh fof"kf'V;kWa tSlk fd mi/kkjk ¼2½ esa विनिर्दिष्ट fd;k x;k gS] ls ;qDr fcdzh chtd dzsrk dks miyC/k djk;sxk vkSj mldh ,d izfr vius ikl j[ksxkA eky ds fodz; ij izHkkfjr dj dh /kujkf"k vyx&2 n"kkZ;h tk;sxh%

/kkjk 58 ds vuqlkj ;fn dksbZ C;kSgkjh /kkjk 60 ds micU/kks ds vuqlkj fcdzh chtd tkjh djus esa vlQy jgrk gS vFkok fcdzh chtd viw.kZ ;k =qfViw.kZ fof"kf'V;ksa ds lkFk tkjh djrk gS vFkok ,slk chtd tkjh djus ds i"pkr mldks viuh ys[kk cfg;ksa esa "kq}r;k ys[kkc} djus esa vlQy jgrk gS ;k >wBk fcdzh chtd]ckmpj ;k vU; nLrkost ftudks og tkurk gS ;k fo"okl djus dk dkj.k gS fd os >wBs gS tkjh djrk gS rks ml ij fufn'V n"kk es aizFke O;fDrdze ds fy;s ,d lkS :0 ;k vUrxZzLr dj ds nks xquh /kujkf"k]tks Hkh vf/kd gks] vkSj f}rh; vkSj izR;sd i"pkr~orhZ O;frdze ds fy;s nks lkS :0 ;k vUrxZZzLr dj ds nks xqauh /kujkf"k tks Hkh vf/kd gks

;fn dksbZ C;kSgkjh dksbZ >wBk ;k xyr ?kks'k.kk&i= ;k izek.k i= tkjh djrk gS ;k nsrk gS ftlds dkj.k bl vf/kfu;e ds vFkok blds v/khu cus fu;eksa ;k tkjh vf/klwpukvksa ds vUrxZr fodz; ;k dz;ij dj u yx lds] esa fufnZ'V n"kk esa

vUrxZzLr eky ds dher ds pkyhl izfr"kr ls vukf/kd /kujkf"k ;k bl vf/kfuf;e ds fdUgh micU/kksa ds v/khu msls eky ij vkjksi.kh; dj dh rhu xquk /kujkf"k]tks Hkh vf/kd gks gksxhA

dk;kZy; funs"kd] d`f'k funs"kky; ,oa eq[; d`f'k vf/kdkjh nsgjknwu dh ys[kkijh{kk ds nkSjku ik;k x;k fd Hkkjr ljdkj fofHkUu moZjd fofuekZrkvksa dks ;wfj;kWa dh ,e0vkj0ih0 ij fdlkuksa dks fcdzh djus ij vUrj ewY; /kujkf"k ij 100 izfr"kr lfClMh lh/ks fofuekZrk QeksZ dks "kklukns"k esa mfYyf[kr "krksZ ds vuqlkj tkjh djrh gSA blfy;s izns"k esa vk;kfrr ;wfj;kWa lfClMh njksa ij gh vk;kr gksrk gS ,oa mldh fcdzh Hkh lfClMh njksa ij gh dh tkrh gS] lfClMh [kjhn ,oa fcdzh njsa Hkkjr ljdkj ds }kjk gh r; dh tkrh gSA

bQdksa dEiuh ds izFke lSy fcUnq QeZ eSllZ bfM;u QkjelZ QfVZykbtj dksvkijsfVo fy0 dkyh efUnj th-,e0,l0 jksM nsgjknwu ds okf.kT; dj foHkkx nsgjknwu ds vfUre dj fu/kkZj.k vkns"k o'kZ 2010&11 ls o'kZ 2015&16 rd ,oa oSV vkfMV fjiksVZ dk voyksdu djus ij ik;k x;k fd QeZ ds }kjk QkeZ 16¼vk;kr ?kks'k.kk&i=½ izkUr cgkj ls moZjd ,oa ;wfj;kWa dk vk;kr fd;k x;k gS] vk;kfrr moZjd ,oa ;wfj;kW dh fcdzh de ewY; ij ?kksf'kr djrs gq,s vo"ks'k /kujkf"k¼ek=k½ dks xzkWl ykWl ?kksf'kr dj fd ;g xzkWl ykl lfClMh dh /kujkf"k gS] tksfd Hkkjr ljdkj ls ckn esa izkIr gksrh gS] bl rjg QeZ ds }kjk izR;sd o'kZ djksMksa dh gks pqdh izkUr ds vUnj fcdzh dks jkT; esa dj fu/kkZfjr dj 5 izfr"kr dh ns;rk ls cpus ds fy;s >qBh ?kks'k.kk dj fNik;k x;k gSA D;ksfd QeZ ds }kjk दर्शायी x;h xkWzl ykl /kujkf"k dh fcdzh tuin gfj}kj ,oa nsgjknwu dh viathd`r dksijsfVo lkslkbfV;ksa dks x;h gS] ftudks QeZ ds }kjk o'kZ 2010 ls o'kZ 2016&17 rd fcdzh chtd tkjh gh ugh fd;s x;s Fks] tSls fd tuinks dh dksijsfVo lkslkbfV;ksa ds }kjk fyf[kr esa voxr djk;k x;k FkkA blfy;s QeZ ds }kjk ;g fcdzh xkWl ykWl n"kkZdj fNik;h x;h gSA ftl ij okf.kT; dj foHkkx }kjk Hkh dj eqfDr vfHkys[kksa dh lR;fu'Bk lqfuf"fpr fd;s fcuk gh QeZ dks dj eqfDr iznku dj nh x;h FkhA tc ?kksf'kr xzkWl ykl ds lEcU/k esa eq[; d`f'k vf/kdkjh nsgjknwu]gfj}kj]m|eflguxj]ikSMh ,oa tuin uSuhrky ls tkjh ;wfj;kW ads izek.k&i= ch1 ij xkWzl ykl ds lEcU/k esa iwNk x;k rks muds }kjk crk;k x;k fd muds tuinksa esa bQdksa dks dksbZ Hkh [kjhn ,oa fcdzh njksa dk xkWzl ykWl ugh crk;k x;k gSA tc bl lEcU/k esa d`f'k funs"kky; ls Hkh iwNk x;k rks funs"kky; }kjk Hkh crk;k x;k fd vkfrfFk rd QeZ ds }kjk vk;fr njksa ,oa dh x;h fcdzh dh njksa esa xkWl ykWl gksuk ugh crk;k x;k gSA

bl lEcU/k esa iqu% iwNk x;k rks funs"kky; }kjk mBk;h x;h vkfMV vkifRr ij bl lEcU/k esa QeZ ls fyf[kr iwNk x;k rks QeZ ds }kjk crk;k x;k fd ;g xkWzl ykWl ugh gS cfYd ykHk gSA D;ksfd izR;sd o'kZ dEiuh dks ykHk gks jgk gSA QeZ ds bl >wBs d`R; ij funs"kky; ds }kjk vkfMV vkifRr Lohdkj djrs gq,s foxr o'kksZ esa :0 1]34]65]43]563-93 dh vk;kfrr [kjhn ij iwoZ esa Hkkjr ljdkj }kjk

tkjh dh x;h lfClMh dh olwyh gsrq izdj.k Hkkjr ljdkj dks izsf'kr fd;s tkus dh dk;Zokgh djus gsrq voxr djk;k x;k FkkA

foHkkxh; mRrj lUrks'ktud ugh Fkk]D;ksfd foHkkx ds }kjk dsoy dk;Zokgh djus dk vk"oklu gh fn;k x;k gSA tcfd ;Fkk"kh?kz olwyh djus gsrq Hkkjr ljdkj dks i= izsf'kr fd;k tkuk pkfg,s FkkA ;gh ugh mDr dk;Zokgh ls mRrjk[k.M okf.kT; dj foHkkx nsgjknwu dks voxr djkuk pkfg;s FkkA rkfd okf.kT; foHkkx }kjk dj vkjksi.kh; fd;k tk ldrkA foHkkxh; ykijokgh dk blh ls vanktk लगाया tk ldrk gS fd Hkkjr ljdkj]jlk;u vkSj moZjd ea=ky; ds v0"kk0 i= la[;k 6@5@2011 ,~Q-,e-¼ih-Vh-½fnukad 20]vizSy] 2012 ds }kjk jkT; ljdkj dks bl ij dMh fuxjkuh djus gsrq dgk x;k FkkA ftl ij mRrjk[k.M "kklu ds i=kad la[;k 662@XIII-1/2012-5(2008)Vh0lh0 d`f'k ,oa foi.ku vuqHkkx&1 nsgjknwu fnukad 06 tqykbZ 2012 es dgk x;k Fkk fd leLr lacf/kr vf/kdkfj;ksa dks ;g funsZf"kr djus dk d'V djs f d og dMh fuxjkuh j[ksa fd vuqnkfur ;wfj;kWa dk iz;ksx xSj d`f'k dk;ksZ ij u gksus ik,A blds vfrfjDr O;kikj dj foHkkx ,oa vkcdkjh foHkkx ls Hkh dMh fuxjkuh gsrq vuqjks/k djus dk d'V djsA ;fn bl izdkj dksbZ f"kdk;r izkIr gksrh gS rks vko";d oLrq vf/kfu;e 1955 ds v/khu ;Fkksfpr dk;Zokgh djuk Hkh lqfuf"pr djsA ijUrq foHkkx ds }kjk vfrfFk rd okf.kT; dj foHkkx dks ,d i= Hkh ugh fy[kk x;k FkkA tc izdj.k foHkkx ds laKku esa yk;k tk pqdk gS rc Hkh foHkkx ds }kjk Hkkjr ljdkj ,oa jkT; ds okf.kT; dj foHkkx dks dk;Zokgh djus gsrq ugh fy[kk x;k Fkk]rkfd xzkWl ykl vo"ks'k /kujkf"k ij okf.kT; dj foHkkx }kjk vfUre dj fu/kkZj.k vkns"kksa esa nh x;h dj eqfDr ij oSV vf/kfu;e 2005 dh /kkjk 58¼1½xxix ds vUrxZr dk;Zokgh dj s¼**:0 1]34]65]43]563-93 x 40% =53,86,17,425=00** ½ dj vkjksi.kh; fd;k tkrk Aftl ij oSV vf/kfu;eksa ds izko|kuksa vuqlkj ns; tek frfFk rd ns; C;kt Hkh vkjksi.kh; gksxkA

vr% izdj.k olwyh djus dk laKku esa yk;k tkrk gSA

* uksV ¼ :0**1]34]65]43]563-93 x 5% =6,73,27,178=15 dj viaopu fd;k x;k gSA oSV vf/kfu;e dh /kkjk 58¼1½ esa mfYyf[kr izko|kuksa ds vUrxZr ;fn dksbZ O;kSgkjh xyr vfHkys[k ,oa ?kks'k.kk&i= tkjh djds vius djk/ks; dz; fodz; dks fNikrk gS rks ml ij vFkZn.M dh dk;Zokgh djus ds fy;s ;k rks vkjksfir VSDl dh /kujkf"k dk rhu xquk ;k fNik;h x;h /kujkf"k dk pkyhl izfr"kr tks Hkh vf/kDre gks] vFkZn.M vkjksi.kh; fd;k gksxkA blfy;s bl /kujkf"k** :0**1]34]65]43]563-93 ij vf/kDre 40 izfr"kr vFkZn.M vkjksi.kh; fd;k** गया है।)

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः1- □ 119.00 करोड़ का कर आरोपणीय न किया जाना।

उत्तराखण्ड वैट अधिनियम 2005 की धारा (2) की उप धारा 42 " Sale Price" means the amounts of valuable consideration received or receivable by a dealer for sale of any good and shall include any sum charged for anything done by the dealer in respect of goods at the time or before the delivery thereof, excise duty, special excise duty or any other duty or tax but shall not include:-

(a) Any sum allowed by the seller of goods to the purchaser as cash discount, commission or trade discount according to normal trade practice, at the time of sale of goods;
(b) The cost of outward freight or delivery or the const of installation in cases where such cost is separately charged;
(c) The amounts of tax under the Act, if separately charged by the dealer.

धारा 3 की उप धारा 7 के अनुसार जो इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत है या पंजीयन के लिये दायी है, या इस अधिनियम के अधीन कर भुगतान के लिये दायी है, जिसमें इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत आच्छादित कोई ब्यौहारी भी सम्मिलित है, ऐसा सच्चा और सही लेखा रखेगा जिसमें उसे माल की कीमत दिखायी गयी हो, जो उसने क्रय, विनिर्मित, या विक्रय या सम्भरण किया हो, और ऐसे अभिलेख रखेगा जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं के अधीन विहित किया जायः

धारा 60 (1) प्रत्येक पंजीकृत ब्यौहारी जो कराधेय माल का विक्रय, किसी अन्य ब्यौहारी, चाहे पंजीकृत हो या नही, को करता है, तो विक्रय के समय ऐसी विशिष्टियां जैसा कि उपधारा (2) में विनिदिष्ट किया गया है, से युक्त बिक्री बीजक क्रेता को उपलब्ध करायेगा और उसकी एक प्रति अपने पास रखेगा। माल के विक्रय पर प्रभारित कर की धनराशि अलग-अलग दर्शायी जायेगीः

धारा 58 के अनुसार यदि कोई ब्यौहारी धारा 60 के उपबन्धों के अनुसार बिक्री बीजक जारी करने में असफल रहता है अथवा बिक्री बीजक अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण विशिष्टियों के साथ जारी करता है अथवा ऐसा बीजक जारी करने के पश्चात उसको अपनी लेखा बहियों में शुद्धतया लेखाबद्ध करने में असफल रहता है या झूठा बिक्री बीजक बाउचर या अन्य दस्तावेज जिनको वह जानता है या विश्वास करने का कारण है कि वे झूठे है जारी करता है तो उस पर निर्दिष्ट दशा में प्रथम व्यक्तिक्रम के लिये एक सौ रूपये या अन्तर्गत कर के दो गुनी धनराशि, जो भी अधिक हो, और द्वितीय और प्रत्येक पश्चातवर्ती व्यतिक्रम के लिये दो सौ रूपये या अन्तर्गत कर के दो गुनी धनराशि जो भी अधिक हो।

यदि कोई ब्यौहारी कोई झूठा या गलत घोषणा-पत्र या प्रमाण पत्र जारी करता है या देता है जिसके कारण इस अधिनियम के अथवा इसके अधीन बने नियमों या जारी अधिसूचनाओं के अन्तर्गत विक्रय या क्रयपर कर न लग सके, में निर्दिष्ट दशा में अन्तर्ग्रस्त माल के कीमत के चालीस प्रतिशत से अनाधिक धनराशि या इस अधिनियम के किन्ही उपबन्धों के अधीन उसे माल पर आरोपणीय कर की तीन गुना धनराशि, जो भी अधिक हो होगी।

कार्यालय निदेशक, कृषि निदेशालय की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि भारत सरकार का विभिन्न उर्वरक विनिर्माताओं को यूरियां की एम.आर.पी. पर किसानों को बिक्री करने पर अन्तर मूल्य धनराशि □ 2380.00 करोड़ (वर्ष 2012 से वर्ष 2017) 100 प्रतिशत सब्सिडी सीधे विनिर्माता फर्मों को शासनादेश भारत सरकार के पत्रांक संख्या F.No.D(FA) CCEA/2011 Government of India Ministry of Chemicals & Fertilizers New Delhi Dated 25.10.2012 में यूरिया के संबंध में स्पष्ट किया गया है। Instead of 100% payment of “ Regular claim in Urea, DOF will release 95% of Subsidy ot the manufacturers on the basis of receipt of fertilizers in the districts. Balance 5% claim will be released subject to State governments’s Certification on quantity in m-FMS as well as fertilizer receipt confirmation by retailers through m-FMS. The state certification of quantity will be given within a period of 30 days from the date of receipts. Otherwise it will be deemed to have been received. State certification of quality will be given within 180 days में उल्लिखित शर्तों के अनुसार जारी करती है। इसलिये प्रदेश में आयातित यूरियां सब्सिडी दरों पर ही आयात होता है एवं उसकी बिक्री भी सब्सिडी दरों पर ही की जाती है। परन्तु विनिर्मिता कम्पनी एवं उसके अधिकृत प्रतिनिधि फर्मों के द्वारा केवल आयातित सब्सिडी दरों

पर ही राज्य में बैट की धनराशि की बिक्री स्वीकार करते हुए कर स्वीकार किया गया है जोकि वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अनुचित था।

इस संबंध में विभाग से पूछने पर अपने उत्तर में स्वीकार करते हुए सम्प्रेक्षा दल को अवगत कराया गया कि यथाशीघ्र ही उक्त प्रकरण को वार्णिज्य कर विभाग देहरादून के संज्ञान में लाया जायेगा। जबकि उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 662/XIII-1/2012-5(2008) टी.सी. कृषि एवं विपणन अनुभाग-1 देहरादून दिनांक 06 जुलाई 2012 में कहा गया था कि समस्त संबंधित अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह कड़ी निगरानी रखें कि अनुदानित यूरियां का प्रयोग गैर कृषि कार्यो पर न होने पाए। इसके अतिरिक्त व्यापार कर विभाग एवं आबकारी विभाग से भी कड़ी निगरानी हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें। यदि इस प्रकार कोई शिकायत प्राप्त होती है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अधीन यथोचित कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें। परन्तु विभाग के द्वारा अतिथि तक वाणिज्य कर विभाग को एक पत्र भी नहीं लिखा गया था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जायेगा।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर:2- कृषि विभाग की शिथिलता के कारण भारत सरकार की योजनाओं का उत्तराखण्ड के किसानो को लाभ के स्थान में हानि होना।

कार्यालय निदेशक, कृषि निदेशालय की लेखा परीक्षा के दौरान नैशनल मिशन ऑन ऑइल पांम (एन.एम.ओ.ओ.पी.) योजनांतर्गत भारत सरकार के द्वारा किसानों को निःशुल्क सोयाबीन प्रजाति के बीज मिनिकिट वितरित किया जाना था। इस हेतु उत्तराखण्ड कृषि विभाग द्वारा खरीफ 2015 हेतु हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइट लिमिडेट, दिल्ली को कुल 800.00 कुंटल सोयाबीन बीज के 10000.00 मिनि किटो की आपूर्ति हेतु दिनांक 25 मई, 2015 को आपूर्ति आदेश जारी किया था, इसी के तारतम्य में मुख्य कृषि अधिकारी, नैनीताल द्वारा 7 जून, 2015 से 20 जून 2015 तक 784.00 कुन्तल सोयाबीन बीज मिनिकिट प्राप्त किया जाना स्वीकार किया है। राज्य में आपूर्तित बीजों का प्रमाणीकरण उत्तराखण्ड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी (UKSSCA) द्वारा प्रमाणीकरण कर गुणवत्ता युक्त चिन्ह लगाकर बीज गुणवत्तायुक्त होना सुनिश्चित किया गया था। इस अभिकरण के द्वारा प्रमाणित बीज किसानों के द्वारा बोये जाने पर जमाव नगण्य होने की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग के द्वारा दिनांक 10/08/2015 को संयुक्त निरीक्षण करवाया गया, जिसमें आपूर्तिकर्ता फर्म हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइट लिमिटेड, नई दिल्ली के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। निरीक्षण प्रतिवेदनानुसार एवं किसानों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर लॉट संख्या 52,53,54,66,67 एवं 68 में जमाव कही-कही 10 से 30 प्रतिशत, कही पर नगण्य थी। किसानों के अनुसार बीज नमी युक्त, मटमैलापन एवं आपस में चिपककर ढेले बने हुये थे जिस कारण किसानो को दुबारा बुआई करनी पढ़ी अर्थात किसानों को आर्थिक हानि हुई है। कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 19/12/2015 को प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्राप्त बीजों की जमाव संबंधी शिकायत पर चिन्हित प्रभावित कृषको को क्षतिपूर्ति के तौर पर आगामी सत्र में निःशुल्क बीज मिनिकिट उपलब्ध कराएंगे तथा यदि भविष्य में इस प्रकार के प्रकरण पुनः संज्ञान में आता है तो सख्त कार्यवाही की जाएगी, के शर्त के साथ पावती (acknowledgment) प्रेषित किया गया था। इस पावती के आधार पर आपूर्तिकर्ता को भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है।

उक्त के बाध भी प्रश्नगत आपूर्तिकर्ता को ही वर्ष 2016 हेतु एन.एफ.एस.एम. योजनान्तर्गत उड़द फसल प्रजाति के 40.00 कुंतल मिनि किटो की आपूर्ति आदेश जारी किया गया था, लेकिन आपूर्ति कर्ता के द्वारा आपूर्ति नहीं किया। प्रश्नगत योजनान्तर्गत ही कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड के द्वारा खरीफ 2016 में सोयाबीन एवं तिल फसल प्रजाति के बीज मिनिकिट आपूर्ति हेतु दिनांक 02/05/2016 को राष्ट्रीय बीज निगम बीज भवन पूसा परिसर, नई

दिल्ली को 800.00 कुंतल सोयाबीन तथा तिल फसल प्रजाति का 25.00 कुंतल बीज आपूर्ति हेतु आपूर्ति आदेश जारी किया गया था, के सापेक्ष प्राप्त 800.00 कुंतल सोयाबीन फसल प्रजाति के बीज चो कि उत्तराखण्ड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी (UKSSCA) द्वारा प्रमाणीकरण कर गुणवत्ता युक्त चिह्न लगाकर बीज गुणवत्तायुक्त होना सुनिश्चित किया था, विभाग के द्वारा वर्ष 2015 में मगाई गई बीज मिनिकीटो की शिकायत का संज्ञान लेते हुये वर्ष 2016 में आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति की गई बीजों का परीक्षण राजकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, हल्द्वानी में करवाया गया, जो अमानक पाये गए, जिसे आपूर्तिकर्ता को वापस किया गया, इससे स्पष्ट है कि किसानों को आपूर्ति की गई बीज मानक नहीं थे, इस सबंध में यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2015 में किसानों को वितरित की गई बीजों का वर्ष 2016 की भाति राजकीय प्रयोगशाला में परीक्षण करवाया गया था। इस पर विभाग ने उत्तर में बताया कि इस संबंध में संबंधित मुख्य कृषि अधिकारियों से पत्राचार कर आख्या मांगी जाएगी, तदनुसार लेखापरीक्षा को आख्या प्रेषित की जाएगी। इससे स्पष्ट है कि विभाग के द्वारा बीज मिनिकीटों को किसानों को वितरित करने से पूर्व गुणवत्ता परीक्षण नहीं करवाया गया था, और कृषि निदेशक द्वारा आपूर्ति कर्ता फर्म को किसानों को हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु लिखा जाना बी इसे साबित करता है। विभाग के द्वारा यथा समय बीज आपूर्ति की कार्यवाही की जाती तो बीज अधोमानक पाये जाने की स्थिति में पुनः बीज आपूर्ति की जाती और किसानों को हानि से बचाया जाता लेकिन विभाग द्वारा फसल चक्र के आरम्भ होते समय बीजों की आपूर्ति किया गया। और अधोमानक पाये गए जिससे किसानों की फसल बुआई में देर हुई या बुआई नहीं कर सके अर्थात कृषि विभाग की कुप्रबंधन के कारण भारत सरकार की योजनाओं का उत्तराखण्ड के किसानों को लाभ के स्थान में हानि हुई है।

STAN

प्रस्तरः1- दो विभागाध्यक्ष घोषित किया जाना।

कार्यालय कृषि निदेशक, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाया कि उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग संख्याः 166/xxvi(7)/2008 देहरादूनः दिनांक 29 अप्रैल, 2008 के कार्यालय ज्ञाप के विभागध्याक्षों की सूची के क्रमांक 3 के अनुसार समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं क्रमांक 16 के अनुसार निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून दोनों ही एक ही विभाग के विभागाध्यक्ष रहते हुए विभागाध्यक्ष के अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि "अवगत करना है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 166 दिनांक 29/04/2008 के द्वारा कृषि विभाग हेतु निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। जो समय-समय पर विभागाध्यक्ष हेतु निर्धारित अधिकारों का प्रयोग शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों/विभागीय हित में करते है। उक्त ज्ञाप के क्रमांक 3 पर सभी प्रमुख सचिव/सचिवों को प्रशासनिक विभाग होने के तौर पर व सचिवालय के स्वयं के स्तर पर विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। निदेशक, कृषि/विभागाध्यक्ष की सीमा से बाहर के निर्णयों हेतु उक्त स्तर से कार्यवाही की जाती है। नियमानुसार प्रत्येक विभाग में एक ही विभागाध्यक्ष होते है।"

विभाग उत्तर से स्पष्ट है कि सचिव, कृषि विभाग एवं निदेशक, कृषि निदेशालय दोनों ही कृषि विभाग, उत्तराखण्ड के विभागाध्यक्ष है। जिसके फलस्वरूप विभागाध्यक्ष के अधिकारों के प्रयोग एवं दायित्व निर्वहन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

अतः नियमानुसार प्रत्येक विभाग में एक ही विभागाध्यक्ष के विपरीत दो विभागाध्यक्ष होने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तरः2- नियमानुसार कार्यवाही न किए जाने के कारण □ 9.98 लाख की राजस्व हानि।

कार्यालय निदेशक, कृषि निदेशालय की लेखा परीक्षा के दौरान उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 संख्या 2911/V-II 146-ख/10/2011, देहरादून दिनाक 18 नवम्बर, 2011 कार्यालय ज्ञाप उत्तराखण्ड खनिज नीति, 2011 की प्रस्तर (7) के अनुसार भवनों के बेसमेंट से मिट्टी की खुदाई व निजी भूमि से व्यवसायिक उपयोग के लिए मिट्टी की खुदाई व भूमि धरी/निजी नाप भूमि जो नदी तल से बाहर स्थित है के समतलीकरण के

दौरान निकालने वाले उपखनिज बालू/बालदार/पत्थर/मिट्टी हेतु निजी व्यक्तियॉ को उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 के नियम, 68 के अंतर्गत नियम, 72 को शिथिल करते हुये उक्त नियमावली के अध्याय-6 नियमानुसार अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा पत्र ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/ खान निरीक्षक से जांच / मूल्यांकन आख्या प्रपट कर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा।

उक्तानुसार कार्यवाही न किए जाने पर अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण किए जाने तथा राजस्व क्षति को रोकते हुए राजस्व वृद्धि सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 का संशोधन नियमावली 2015 का यथा संशोधित उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 संख्या 1725/VII-1/16/158-ख / 2004 देहरादून दिनांक 13 नवम्बर 2016 को प्रख्यापित की गई इस संसोधन के नियम 13-2 ख के अनुसार अवैध खनिज उपखनिज/परिवहन किये जा रहे, अवैध खनिज भण्डारित किए गये। अवैध खनिज की मात्रा खनिज उपखनिज/परिवहन किये जा रहे, अवैध खनिज भण्डारित किए गये। अवैध खनिज की मात्रा पर रायल्टी पांच गुना की धनराशि आगणित कर वसूल की जायेगी तथा नियम 13-ज (1) के अनुसार अवैध उपखनिजों का परिवहन करने वाली वाहनों के प्रकार के अनुसार ☐ 5,000 से 50,000 तक अर्थदण्ड वसूल की जायेगी। कृषि विभाग के द्वारा ☐ Construction of Farmers/Women and youth Multipurpose Training Extension Information Center for Excellence at Directorate of Agriculture, Dehradun का निर्माण करवाया जा रहा है। निर्माण कार्य की आख्यानुसार बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था को निर्माण कार्य में सम्मल्लित किया गया है। बेसमेंट का परिमाप लगभग लम्बाई 36 मीटर चौड़ाई 12 मीटर 03 मीटर गहराई में कुदाई की गई है। इस प्रकार 36x12x3=1296 qmtr लगभग उपखनिज (मिट्टी) निकाला गया होगा, जिसका निस्तारण कर रॉयल्टी जमा किया जाने का अभिलेखों में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, न ही उल्लिखित नियमानुसार अनुज्ञा पत्र ही प्राप्त किए जाने का ही कोई प्रमाण है। अतः उल्लिखित नियमावली के अनुसार अर्थदण्ड आरोपनीय है (1296x154= 199584x5) ₹ 997920.00 + ₹ 5000.00 से 5000.00 तक (वाहनों के प्रकार के अनुसार प्रति परिवहन पर) अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाना होगा चूकि विभाग के द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र प्राप्त किए ही बेसमेंट तैयार करने हेतु मिट्टी का खुदाई कर निस्तारित किया गया है, कार्यस्थल पर खुदाई से निकली मिट्टी भी उपलब्ध नहीं है अर्थात मिट्टी का निस्तारण किया जा चुका है। इसे इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि “प्रति उत्तर कार्यदायी संस्था से प्राप्त होने के उपरांत लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाएगा।” इससे स्पष्ट है कि विभाग के द्वारा रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाली राजस्व के हित में उल्लिखित नियमानुसार कोई कार्यवाही न करने के कारण ☐ 09.98 लाख की हानि हुई है।

STAN

प्रस्तर:3- एम.ओ.यू. के शर्तों के विपरीत □ 298.07 लाख का कार्य करवाया जाना।

कार्यालय निदेशक, कृषि निदेशालय की लेखा परीक्षा के दौरान राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से संबंधित पत्रावलियों की जांच में पाया कि कृषि विभाग की परियोजना- Support for construction of Farmers/Women and Youth Multipurpose Training Extension Information Centre of Excellence की निर्माणार्थ SLSC द्वारा □ 298.07 लाख दिनांक 13 मई, 2016 को स्वीकृत की गई थी। इसका निर्माण कार्य सिंचाई विभाग को दिया गया था। प्रश्नगत कार्यार्थ सिंचाई विभाग एवं कृषि निदेशालय के बीच दिनांक 19/12/2016 को समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया था। इस समझौता ज्ञापन के शर्त बिन्दु 2 के अनुसार निर्माण कार्य एम.ओ.यू. की तिथि से 6 माह में 25 प्रतिशत, 10 माह में 50 प्रतिशत, 15 माह में 75 प्रतिशत एवं 18 माह में पूर्ण किया जाना था। लेकिन एम.ओ.यू. की तिथि से 18 माह के पश्चात भी कार्य अपूर्ण है। समय से कार्य पूर्ण न करने के संबंध में ग्राहक विभाग के द्वारा कार्यदायी संस्था को कोई पत्राचार किए जाने का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जबकि अधिप्राप्ति नियमावली 2017 की बिन्दु 43 के अनुसार विलम्ब से कार्य करने पर संविदा के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत तक अर्थदण्ड आरोपित कर वसूला जाने का प्रावधान है इस प्रकार कुल अनुबंध की धनराशि □ 223.00 लाख का 10 प्रतिशत □ 22.30 लाख वसूलनीय है। समझौता ज्ञापन के शर्त बिन्दु संख्या 3 को अनुसार कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रथम किस्त निर्माण एजेंसी को उपलब्ध/अवमुक्त किया जाना था। लेकिन विभाग ने □ 48.80 लाख दिनांक 15/11/2016 को ही एम.ओ.यू. निष्पादन (दिनांक 19/12/2016) से पूर्व ही कर दिया था। दिनांक 06/04/2017 □ 101.20 लाख तथा दिनाकं 12/04/2017 को □ 14.00 लाख कुल □ 164.00 लाख अवमुक्त/उपलब्ध कराया गया था। अभिलेखानुसार उक्त धनराशियां प्रश्न गत कार्यार्थ गठित अनुबंध (दिनांक 09/05/2017) से पूर्व ही कार्यदायी संस्था को अवमुक्त/भुगतान किया गया था, जबकि एम.ओ.यू. की शर्तानुसार उपलब्ध कराई गई धनराशियों के सापेक्ष्य 80 प्रतिशत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करने पर ही अगली किस्त जारी की जाएगी विभाग ने इस शर्त के विपरीत बिना कार्य प्रारम्भ किए

ही 3 किश्तों में कार्यदायी संस्था को ☐ 164.00 लाख अवमुक्त किया गया है। इस संबंध में कृषि निदेशक के दिनांक 06/04/2017 को अधिशासी अभियन्ता को प्रेषित पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि विभाग के द्वारा ☐ 164.00 लाख अवमुक्त किए जाने के बाद भी कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि बिना कार्य प्रारम्भ किए ही विभाग के द्वारा कार्यदायी संस्था को उल्लिखित शर्तों के विपरीत धनराशियां अनियमित तरीके से अवमुक्त किया गया था, जबकि कार्यस्थल निदेशालय परिसर के मुख्य द्वार के सामने है। एम.ओ.यू. की शर्त 10 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उसके पास उपलब्ध धनराशियों के सापेक्ष अर्जित ब्याज का विवरण भी उपलब्ध किया जाना था, लेकिन न ही ग्राहक विभाग के द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार ही किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 प्रस्तर 03 अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धान्त के उपनियमों के प्रावधानों विपरीत कार्य किया जा रहा है। प्रश्नगतकार्यार्थ स्वीकृत धनराशि ☐ 298.07 के सापेक्ष मात्र ☐ 2,34,01,792.59 ही प्राक्कलन/आगणन के सापेक्ष अनुबंध ☐ 22251137.60 का ही गठित किया गया है इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि मूल आगणन की कौन-कौन से मद अनुबंध में सम्मिलित है और कौन से नहीं। नियमानुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष्य गठित अनुबंध की धनराशि कम होने पर विभाग के द्वारा कार्यदायी संस्था को उतनी ही धनराशि अवमुक्त/उपलब्ध किया जाना चाहिए जितने की अनुबंध गठित किया गया हो। उक्त तथ्यों को इंगित करने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि कार्यदायी संस्था (सिंचाई विभाग) उत्तराखण्ड सरकार का एक विभाग है। परियोजना के लागत के सापेक्ष उपलब्धता के अनुसार धनराशि कार्यदायी संस्था को दी गई। जो कि शासन द्वारा इस कार्य हेतु जारी की गई थी विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग के बीच गठित एम.ओ.यू. के शर्तो के विपरीत कार्यदायी संस्था को बिना कार्य प्रारम्भ किए ही धनराशियां अवमुक्त करना तथा एम.ओ.यू. के शर्तों के विपरीत कार्यदायी संस्था को बिना कार्य प्रारम्भ किए ही धनराशियां अवमुक्त करना तथा एम.ओ.यू. के शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित न किया जाना उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली एवं शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः एम.ओ.यू. के शर्तों के विपरीत ☐ 298.07 लाख का कार्य करवाया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर		
	भाग-2अ	भाग-2ब	STAN
18/2014-15	-	1,2	**1**
69/2015-16	-	1,2,3	

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
	विभागीय उत्तर में बताया गया कि उक्त प्रस्तरों की यथाशीघ्र आख्या तैयार कर महालेखाकार कार्यालय को प्रषित की जायेगी अत: उक्त सभी प्रस्तर यथावत रखने हेतु, प्रस्तावित है।			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य:-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड,** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   1) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओ द्वारा खण्ड का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
	श्री गौरी शंकर	निदेशक	28/12/2013 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय **कार्यालय कृषि निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड,** को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, कार्यालय सह आवासीय परिसर, पोस्ट ऑफिस-कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

व.लेखापरीक्षा अधिकारी
आर्थिक क्षेत्र-2